

अधिवक्ता उपखण्ड अजमेर
नीलमदेवी

बनाम ... कमला केसरी ...

नंबर ... 91 ... वर्ष 2014

विलय मुकदमा : 53, 88, 1, 8, 8, 8, 7, 1, 1, 1
पुनः या कार्यवाही मय प्रतिशिखल जज


नंबर व तारीख अदालत या इस
पुनः की तारीख में जारी हुए

तारीख
दस्तावेज

6-6-24

परावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील
उप। नरेन्द्र माहे श्वरी के शपथ-पत्र (0.18
A.P) पर बयान लिये जाकर फिरत की
गई। परावली वास्ते बयान (विशाल बाहेती
के शपथ-पत्र पर) व संबंधित शीट्स
हेतु दिनांक 18-7-24 को पेश हो।

मे 15 दिस 2014
... ..


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

11-6-24

वकील वादी एवं पावर ऑफ अटोनी धारक
पंकज बाहेती द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते परा-
वली आज की तारीख पेशी में तलब कर
वादीगण का दावा नोटिस में खारिज
किये जाने बाबत पेश करने पर उक्त प्रां
पत्र स्वीकार किया जाकर परावली तलब
की गई।

Not present
Pawar
... ..
11/6/2014

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वादीगण
जरिये अधिकृत उक्त वाद को आगे चलाना
नहीं चाहते हैं एवं वादीगण (जरिये अधि-
कृत अभिकर्ता) अपने वाद को Not present
में खारिज कराना चाहते हैं। अधिकृत
अभिकर्ता (पंकज बाहेती) स्वयं उपस्थित,
जिसकी पहचान वकील वादीने की।


प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वकील वादी
एवं वादीगण की ओर से अधिकृत अभिकर्ता



91/2014 लीलादेवी बनाम कमलसिरोहगें

जारी
11-6-24 पंकज बाहेती को सुना गया। वकील वादी व
आधिकृत अभिकर्ता में प्रकरण में N/A प्रथम
जाहिर किया। अतः वादी का वाद खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल बुझाव होकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)